IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SITAMARHI

Dated, Sitamarhi, the 27 -04 -2026

Present:- Akhilesh Kumar Jha, Principal District & Sessions Judge

B.P. No.- 213/2026

Binod Mahto……..….Petitioner.

Vrs.

State of Bihar…….…. Respondent.

For the Petitioner : Sri Alok kumar Advocate.
For the State : Sri Prafful kumar Jha, P.P. I/C

Date of Order or Proceeding	**Order with the signature of the Court**	Office action taken with date
27-04-26	अभियुक्त विनोद महतो जो सुप्पी थाना कांड सं0 325/25 में 126(2), 127(2), 303(2), 351(1), 352, 76, 3(5) बी0एन0एस0 के तहत दिनांक 30.01.26 से न्यायिक अभिरक्षा में है की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और प्रभारी लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक बिलकुल निर्दोष है। आवेदक पर लगाया गया सारा आरोप झूठा बनावटी एवं आधारहीन है। आवेदक को इस वाद में त्रुटिपूर्ण रीति से फंसाया गया है। आवेदक किसी भी प्रकार के किसी घटना कारित नहीं किया हैं। प्राथमिकी की सभी धाराएं जमानतीय है सिवाय घारा 303(2), एवं 76 बी0एन0एस0 के, जो मुकदमा को अजमानतीय बनाने के उददेश्य से अधिरोपित किया गया है। घटना दिनांक 2.11. 25 की है और थाना में प्राथमिकी 14.11.25 को दर्ज कराया गया है । एवं विलंब से प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई कारण नहीं बताया गया है। सही तथ्य यह है कि दिनांक 2.11. 25 को इस वाद के आवेदक की पत्नी संजू देवी के साथ इस वाद के सूचिका एवं उसके पति ने गाली ग्लौज एवं मारपीट किया जिस कारण आवेदक की पत्नी ने सुप्पी थाना कांड सं0 322/25 दर्ज कराया । उसी वाद से बचने के लिए सूचिका ने यह झूठा वाद संस्थित करा दिया है। आवेदक दिनांक	

27-4-26	30.01.26 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदक का चार आपराधिक इतिहास है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध किया गया। विद्वान लोक अभियोजन द्वारा कथन किया गया कि आवेदक एवं सूचक के बीच पलटा मुकदमा चल रहा है। कांड दैनिकी के कंडिका 6,7 में साक्षी का बयान है जिन्होंने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिक के पेज 10 पर जख्म प्रतिवेदन है जिसमें जख्मी देवेन्द्र कुमार का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है । इस वाद में आरोप पत्र समर्पित हो चुका है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद सूचिका बबीता देवी के लिखित आवेदन पर संस्थित किया गया हैं। सूचिका ने अपने लिखित आवेदन में कथन किया है कि दिनांक 2.11.25 को समूह के बैठक समाप्ति के बाद संजू देवी अपने पति विनोद महतो के साथ आई विनोद महतो दबग क्रिमनल दारू बेचने तथा कई मुकदमा में जेल भी जा चुका है। दोनों पति पत्नी आंगन में धुसकर सीधे सूचिका कोठरी में आई समूह की कार्रवाई प्रति तथा बक्सा उठाने लगी। सूचिका पूछा क्यों ले जा रही हो, तो बोले अपने घर ले जाउगी, अब आपके पास पास नहीं रहेगा। बक्सा का चाभी भी उसके पास थी। सूचिका ने आपत्ति की तो संजू के पति विनोद महतो बक्सा अभिलेख अपने हाथ में ले लिया और सूचिका को धक्का देकर गिरा दिए। गला से मंगल सूच उतार लिया । यह आवाज सुनने सूचिका की सास कौशल्या देवी आई ओर विरोध कि तो उन्हे विनोद महतो अभद्र गाली ग्लौज दिया और बोला दोनो को मार देगे। यह समूह को मै चलाउँगा, ज्यादा बोला तो बेटा को जान से मार देगे साथ में रामबाबू साले को खोज रहे है। वह ससौला भागा हुआ है। यह कहते हुए दोनों पति पत्नी बाहर निकला तो विद्यालय में उसका देवर सिकन्दर महतो पढ़ाकर आए थे, उन्होने पूछा हल्ला क्यों हो रहा है। विनोद महतो उन पर प्रहार किया और बोला कि जीविका का पैसा वसूल करने आए थे, जमाकारो के सभी कागजात मेरे पास रहेगा। बाद में देवेन्द्र कुमार देवर गांव मे थे। तब तक संजू देवी जिविका का सभी कागजात बक्सा लेकर दौड़ती भाग गयी । देवेन्द्र पर भी विनोद	

27-4-26	महतो हाथ से मारा। लोगों ने छुड़ा दिया। यह सारी बात अपने पति को बतायी । विनोद महतो अपने छत से गाली ग्लौज कर रहा था। विनोद महतो उसका मंगल सूत्र निकाल लिया एवं सिकन्दर महतो को मारा एवं देवेन्द्र महतो को रड से मारा। जिविका का बक्सा और कागजात की प्रति भी ले गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक एवं सूचिका दोनों पड़ोसी है। दोनों के बीच पलटा मुकदमा चल रहा है। कांड दैनिकी के कंडिका 6 एव 7 में साक्षियों का बयान है किसी साक्षी ने मंगल सूत्र छीनने की घटना का समर्थन नहीं किया है। घटना दिनांक 2.11.25 की है और थाना में प्राथमिकी दिनांक 14.11.25 को दर्ज करायी। घटना विलम्ब से दर्ज कराने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया हैं। कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि जख्मी देवेन्द्र कुमार का जख्म साधारण प्रकृति का है। इस वाद में आरोप पत्र समर्पित हो चुका है इसलिए साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना नहीं हैं। आवेदक दिनांक 30.1.26 से कारा अभिरक्षा में हैं। अतएव उपरोक्त तर्को, तथ्यो, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को मो0 10,000 रू0 (दस हजार) रूपया की समान धन राशि के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने पर एवं BNSS की धारा 480 (3) के तहत निर्धारित शर्तो के अधीन विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं शुद्धिकृत ह0/– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतामढ़ी दिनांक– 27.4.2026	

Date of Judgement / Order-	27-4-2026
Date of Reserving	27-4-2026
Uploading Date-	29.04.2026
Uploaded by	पुरूषोतम कुमार